



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र 1934 (श0)

(सं0 पटना 443) पटना, वृहस्पतिवार, 30 अगस्त 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

30 अगस्त 2012

सं0 एल0जी0-1-10/2012/लेज: 377—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 अगस्त, 2012 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 15, 2012]

बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012**बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।**

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**—(1) यह अधिनियम बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा-15 का संशोधन।**—(1) धारा-15 के शीर्षक "सक्षम प्राधिकार के द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन" के बाद विद्यमान प्रावधान को उप-धारा-"(1)" के रूप में संख्यांकित किया जायेगा।

(2) धारा-15 के विद्यमान प्रावधान के बाद, निम्नलिखित नयी उप-धाराएँ (2), (3), (4), (5), (6) एवं (7) जोड़ी जाएगी :-

"(2) अधिनियम की अनुसूची-1 में अन्तर्विष्ट किसी अधिनियम के अधीन किसी बन्दोबस्तीधारी या आवंटी अथवा रैयती भूमि के स्वामी के अनधिकृत एवं अवैध बेदखली की दशा में, सक्षम प्राधिकार इस अधिनियम के अधीन पारित अपने आदेश को, अपने क्षेत्राधिकार के अधीन किसी राजस्व पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करके तथा सम्बन्धित थाना के थाना प्रभारी को, पर्याप्त पुलिस बल के साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने हेतु निर्देशित करके, निष्पादित करेगा।

(3) अधिनियम की अनुसूची-1 में अन्तर्विष्ट किसी अधिनियम के अधीन किसी बन्दोबस्तीधारी या आवंटी अथवा रैयती भूमि के स्वामी के बेदखल होने की पर्याप्त संभावना की दशा में सक्षम प्राधिकार एक समुचित आदेश पारित कर सकेगा तथा अपने आदेश को, सम्बन्धित अनुमण्डल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सम्बन्धित थाना के थाना प्रभारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के अधीन निरोधात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध करके, अपने आदेश को निष्पादित करेगा।

(4) भूमि के होल्डिंग के बँटवारा के मामले में, सक्षम पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन पारित अपने आदेश को, विहित प्ररूप में नापी एवं सीमांकन की तिथि एवं समय के बारे में, हिस्सेदारों को पूर्व सूचना के अधीन, अमीन द्वारा भूमि की नापी एवं चिन्हित करवाकर एवं सह-हिस्सेदारों की तख्तबन्दी (सह-हिस्सेदारों के विनिर्दिष्ट हिस्सों का प्रभाजन) तैयार करवा कर निष्पादित करेगा। सक्षम प्राधिकार तख्तबन्दी के विरुद्ध सह-हिस्सेदारों से आपत्ति आमंत्रित करेगा एवं आपत्तियों की सुनवाई के उपरान्त तख्तबन्दी को अन्तिम रूप देगा तथा सह-हिस्सेदारों को उनके तख्त (विनिर्दिष्ट हिस्सा) के अनुसार भूमि का दखल देगा। अगर भूमि की नापी या सीमांकन करना अथवा भूमि का दखल देना, बिना बल प्रयोग के सम्भव न हो तो वह अपने क्षेत्राधिकार के अधीन, किसी राजस्व पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति एवं सम्बन्धित थाना प्रभारी को, पर्याप्त पुलिस बल तथा पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने हेतु, निदेश देगा तथा अपने आदेश को निष्पादित कराएगा।

(5) किसी भूमि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के मामले में, सक्षम प्राधिकार, इस अधिनियम के अधीन पारित अपने आदेश को, सम्बन्धित राजस्व पदाधिकारियों को अन्य बातों के साथ-साथ चालू खतियान, अभिधारी-खाता-पंजी सहित सम्बन्धित राजस्व अभिलेखों में तथा अपने आदेश के अनुसार खेसरा-पंजी में उस व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिबिम्बित करने के लिए, आवश्यक संशोधन करने हेतु निदेश देकर निष्पादित कराएगा।

(6) सीमा विवाद के मामले में, सक्षम प्राधिकार, इस अधिनियम के अधीन पारित अपने आदेश को, एक ही सीमा में पड़नेवाले सभी भू-धारियों को विहित प्ररूप में, नापी एवं सीमांकन की तिथि एवं समय को इंगित करते हुए सूचना द्वारा, अपने आदेश के अनुरूप अमीन द्वारा सम्बन्धित खेसरा या उसके भाग की सीमाओं की नापी एवं सीमांकन करके निष्पादित करेगा, परन्तु यदि बिना बल प्रयोग के यह सम्भव नहीं हो तो वह अपने क्षेत्राधिकार के अधीन एक राजस्व पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेगा एवं सम्बन्धित थाना प्रभारी को, पर्याप्त बल के साथ पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने हेतु, निदेश देगा तथा अपने आदेश को निष्पादित कराएगा।

(7) (क) अनधिकृत संरचना के मामले में, सक्षम प्राधिकार, उस अनधिकृत संरचना के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को, विहित प्ररूप में नोटिस के माध्यम से उस संरचना को, आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर हटाने के लिए निदेशित करते हुए अपने आदेश को निष्पादित करेगा।

(ख) अगर कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध खण्ड (क) में नोटिस निर्गत किया गया हो, नोटिस की 30 दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद, संरचना को हटाने में व्यतिक्रम करता है तो सक्षम प्राधिकार नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उस संरचना को हटाने, जिसमें असफल होने पर संरचना परिबद्ध की जायेगी या उसके खर्च पर संरचना हटा दिए जाने हेतु निर्देशित करते हुए विहित प्ररूप में द्वितीय नोटिस निर्गत करेगा।

(ग) खण्ड (ख) के अधीन की नोटिस से 15 दिनों की अवधि समाप्त होने के उपरान्त, संरचना नहीं हटाए जाने के दशा में, सक्षम प्राधिकार जैसा उचित समझे, संरचना को परिबद्ध करेगा अथवा हटा देगा, परन्तु हटाए जाने के मामले में, हटाने का खर्च उस व्यक्ति से वसूल किया जायेगा जिसके विरुद्ध बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के अधीन नोटिस निर्गत किया गया हो।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

30 अगस्त 2012

सं0 एल0जी0-1-10/2012/378/लेज:—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2012 को अनुमत बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 15, 2012]

The Bihar Land Disputes Resolution (Amendment) Act, 2012

**AN
ACT**

TO AMEND THE BIHAR LAND DISPUTES RESOLUTION ACT, 2009

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty third year of Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called The Bihar Land Disputes Resolution (Amendment) Act, 2012.

- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force at once.

2. Amendment of Section-15 of The Bihar Land Disputes Resolution Act, 2009.—(1) After the title of Section-15 "Execution of the order passed by the competent authority" the existing provision shall be numbered as sub-section "(1)".

(2) After the existing provision of Section-15, the following new Sub-Sections (2), (3), (4), (5), (6) and (7) shall be added:-

"(2) In case of unauthorized and unlawful dispossession of any settlee/allottee under any Act contained in the schedule-1 of the Act or of any owner of raiyati land, the Competent Authority shall execute his order passed under this Act by deputing a Revenue Officer under his jurisdiction and directing the Officer-In-charge of the concerned police station to depute a police officer with adequate police force.

(3) In case there is sufficient apprehension that the settlee/allottee of any land under any Act contained in schedule-1 of the Act or owner of any raiyati land may be dispossessed of his land, the Competent Authority may pass an appropriate order and shall execute his order by requesting the concerned Sub-Divisional Magistrate/Executive Magistrate/Officer-In-Charge of the concerned police station to take preventive actions under the relevant sections of Criminal Procedure Code.

(4) In case of partition of land holding, the Competent Authority shall execute his order passed under this Act by getting the land measured and demarcated by Amin as per his order under prior intimation in prescribed form about the date and time of measurement and demarcation to co-sharers and by getting the Takhtabandi (apportionment of the specific shares of the co-sharers) of the co-sharers prepared. The Competent Authority shall invite objections from co-sharers against the Takhtabandi and upon hearing of the objections shall finalise the Takhtabandi and shall deliver possession of land to co-sharers in accordance with their Takhta (specific share). In case, it is not possible to measure or demarcate the land or to deliver the possession without the use of force then he shall depute a Revenue Officer under his jurisdiction and direct the Officer-In-charge of the concerned police station to depute a police officer with adequate police force and get his order executed.

(5) In case of declaration of right of a person with respect to any land, the Competent Authority shall execute his order passed under this Act by directing the revenue authorities concerned to make necessary amendment in revenue records concerned including inter alia the continuous record of rights, tenants ledger register and khesra register reflecting the right of the person as per his order.

(6) In case of boundary dispute, the Competent Authority may execute his order passed under this Act, by getting the boundaries of the concerned plot or a part thereof measured and demarcated by Amin, as per his order, with prior intimation in prescribed form to all land holders having common boundaries, by way of notice indicating date and time of measurement and demarcation, but in case it is not possible without the use of force then he shall depute a Revenue Officer under his jurisdiction and direct the Officer-In-charge of the concerned police station to depute a police officer with adequate police force and get his order executed.

(7) (a) In case of unauthorized structure, the Competent Authority shall execute his order passed under this Act by directing the person responsible for such unauthorized structure through a notice in prescribed form to remove such structure within 30 days of the receipt of the order.

(b) In case the person against whom a notice is made under Clause-(a) fails to remove the structure after the lapse of the 30 days period of notice, the Competent Authority shall issue a second notice in prescribed form directing him to remove such a structure within 15 days of the receipt of the notice

failing which the structure shall be impounded or the structure shall be removed at his cost.

- (c) In case the structure is not removed after the lapse of 15 days period of the notice under the Clause-(b), the Competent Authority shall impound the structure or remove it as he deems fit but in case of removal, the cost of the removal shall be realized from the person against whom the notice has been issued under the provisions of the Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914."

By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 443-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>